संख्या-271/2016/1136/22-2-2016-17(224)/2012

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-बांदा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21431/पर-3/(एम-22-06-2016) दिनांक-20-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र श्री रहीम, निवासी-दिघवट, थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा वर्तमान पता मो0-अलीगंज, थाना- को0 शहर, जिला-बांदा का रहने वाला है। बटवारे का लेकर चल रहे विवाद एवं मुकदमें बाजी को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.04.1981 को सायं लगभग 06:00 बजे के मध्य बन्दूकों से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/1988 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307, 148, 380, 404 मा0 सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 28-11-1997 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.1998 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2016 तक 18 वर्ष 05 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 01 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के जेल से रिहा होने पर बन्दी के साथ कोई घटना घटित की जा सकती है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इस पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बन्दी रज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-बांदा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रज्जब उर्फ रज्जाक (बन्दी संख्या-2140/2000) पुत्र श्री रहीम निवासी जनपद-बांदा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-271/2016/1136(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-271/2016/1136/22-2-2016-17(224)/2012

दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र श्री रहीम, निवासी-दिघवट, थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा वर्तमान पता मो0-अलीगंज, थाना- को0 शहर, जिला-बांदा का रहने वाला है। बटवारे का लेकर चल रहे विवाद एवं मुकदमें बाजी को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.04.1981 को सायं लगभग 06:00 बजे के मध्य बन्दूकों से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/1988 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307, 148, 380, 404 मा0 सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 28-11-1997 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.1998 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2016 तक 18 वर्ष 05 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 01 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के जेल से रिहा होने पर बन्दी के साथ कोई घटना घटित की जा सकती है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इस पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बन्दी रज्जब उर्फ रज्जाक पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-बांदा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in